

का.आ.सं.- ईडी/ 274 /2020

संख्या: ईडी/1025/17/1 भाग-4

:: कार्यालय आदेश ::

विषय : पदोन्नति, पदावनति एवं स्थानान्तरण- कनिष्ठ लिपिक (Estt.+MOCG+BWSM) वे.मा.रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे (लेवल-2) के 33.1/3% रैंकर कोटे के तहत नामिका पर उपलब्ध कर्मचारियों के पदांकन आदेश बाबत- कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग, रतलाम मण्डल।

संदर्भ : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.12.2020।

---XXXX---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं जो तुरंत प्रभावशील होंगे :

1. श्री जितेन्द्र माली, पानीवाला अधीन SM-RTM को संदर्भित पत्र द्वारा कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) के पद पर पदोन्नत करते हुये CMS-RTM के अधीन पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश को संशोधित करते हुये इन्हें अब SM-RTM के अधीन उच्च वेतनमान की लिंक रिक्ति के विरुद्ध कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) के पद पर पदोन्नति पर पदस्थ किया जाता है।
2. श्री राधेश्याम चौहान, स्पोर्ट्स खलासी अधीन CWLI-RTM को संदर्भित पत्र द्वारा कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) के पद पर पदोन्नत करते हुये SM-RTM के अधीन पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश को संशोधित करते हुये इन्हें अब सामान्य शाखा, मंडल कार्यालय-रतलाम के अधीन उपलब्ध रिक्ति पर कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) के पद पर पदोन्नति पर पदस्थ किया जाता है।
3. श्री पिकेश लोढ़ा, सफाईवाला अधीन CHI-RTM को संदर्भित पत्र द्वारा कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) के पद पर पदोन्नत करते हुये SSE(Power)-DHD के अधीन पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश को संशोधित करते हुये इन्हें अब स्वयं के अनुरोध पर AEN-NMH के अधीन उच्च वेतनमान की लिंक रिक्ति के विरुद्ध कनिष्ठ लिपिक (लेवल-2) के पद पर पदोन्नति पर पदस्थ किया जाता है।

टिप्पणी:

1. किसी भी कर्मचारी को स्थानान्तरण पर मिलने वाली सुविधाएँ नियमानुसार देय नहीं हैं।
2. कर्मचारियों के पास वर्तमान स्टेशन पर यदि रेलवे आवास हो तो नियमानुसार खाली करवायें एवं इसे ही अंतिम सूचना माना जावे।
3. पदोन्नत हुये कर्मचारियों पर पदोन्नति दिनांक को यदि दण्डावधि हो या कोई डीएआर प्रकरण लंबित हो तो पदोन्नत ना कर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
4. कर्मचारियों का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पदभार ग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा संबंधित विभाग/अनुभाग से सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

परिवर्तन की तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते: वरि.मं.का.अधि./रतलाम

प्रतिलिपि :-

वरि.मं.का.अधि., मु.चि.अधी., वरि.मं.इंजी.(सम.), वरि.मं.बि.इंजी.(पावर), वरि.मं.परि.प्रबं., वरि.मं.वाणि.प्रबं., वरि.मं.सा.प्रबं. -

रतलाम, सहा.मं.इंजी.- नीमच

स्टेशन प्रबंधक, सीएचआई- रतलाम, वरि.से.इंजी.(पावर)-दाहोद

मुकाधी- ईडी, गोपनीय, इंजी, पावर, परिचालन, वाणिज्य, सामान्य, वेतन, डीएआर, लि.से.पु., पास, आवास, अवकाश, प्राईम सेल, यूनियन सेल, मुख्य कल्याण निरीक्षक

मंडल मंत्री- वेरेमसं, वेरेएयू / सचिव- एससीएसटी एसौ., ओबीसी एसौ.- रतलाम मंडल।

उक्त आदेश e-Samadhan एप पर उपलब्ध है।